न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा/17/2017 तारीख रजु 02.02.2017

उनवान

1. विमलेश पत्नी महेन्द्र कुमार जाति जाटव निवासी भोंदू का पुरा, हिण्डौन तह0 हिण्डौन जिला करौली

-----वादीया

बनाम

1. गोपाल पुत्र किशनलाल वगै0 निवासी वण्ड का पुरा तह0 हिण्डौन जिला करौली

-----प्रतिवादीगण 04

उपस्थितिः–
वादीगण की ओर से :– कोई उपस्थित नही।
प्रतिवादीगण की ओर से :– कोई उपस्थित नही।

निर्णय दिनांक 06.12.2019

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीया की ओर वकालतन एक दाबा ग्राम मण्डावरा तहसील हिण्डोन के खसरा नंबर 988 में हुक्मइम्तनाई का दावा पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान वकील को बार–बार आवाज दिलाई गई । वादीया वकील को तलवी के कई बार अवसर दिये गये । पत्रावली दिनांक 06.12.2019 को तलवी की स्टेज पर पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए। जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त दाबा में कोई रूचि नहीं ले रहा है। प्रकरण संयुक्त खातेदारी भूमि का है संयुक्त खातेदारी भूमि में वाद नहीं चल सकता।

अतः वादीगण का दावा मुकदमा नंबर 17/2017 श्री विमलेश बनाम गोपाल वगै0 अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 06.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी जिला करौली

SUB DIVISIONAL MAGISTRATE
HINDAUN

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2019.12.31 18:05:30 IST
Reason: SelfAttested